

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय

उद्घोषित तिथि : 04.03.2024

सिविल वाद (वाणि.) सं. 656/2022

एनईसी कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एस्टेव्हील एनईसी
टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेडवादी

द्वारा: श्री रमेश सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री
अर्जुन पाल और सुश्री चांदनी घटक,
अधिवक्तागण

बनाम

मेसर्स प्लस 91 सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एवं ओआरएस
.....प्रतिवादी

द्वारा: सुश्री कावेरी रावल और श्री अरिंदम
घोष, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन दत्ता

निर्णय

अं.आ. 3198/2023

1. सिविल प्रक्रिया संहिता ("सि.प्र.स.") के आदेश XXXVII नियम 3 (5) के तहत वर्तमान आवेदन के माध्यम से, प्रतिवादी सं.1 सि.प्र.स. के आदेश XXXVII के तहत दायर वादी के वर्तमान वाद का बचाव करने की अनुमति चाहता है।

2. वर्तमान वाद के माध्यम से, वादी ने प्रतिवादीगण से मूल राशि की वसूली की तिथि तक 4,21,39,402.95/- रुपये के साथ-साथ 2,04,08,260/- रुपये के वाद-पूर्व ब्याज और साथ ही *लंबित* और पश्चात-निर्णय ब्याज की वसूली की मांग की है। उक्त राशि/यों का दावा उन उपकरणों के आधार पर किया गया है जिनके बारे में कहा गया है कि वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 कंपनी को निर्विवाद रूप से आपूर्ति की गई थी।

3. वाद में यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("इसके बाद "आईओसीएल परियोजना" के रूप में संदर्भित) द्वारा जालंधर, जम्मू और संगरूर में 3 परियोजना स्थानों पर उपकरणों की स्थापना के लिए एक परियोजना प्रदान की गई थी और प्रतिवादी सं. 1 ने वादी से आईओसीएल परियोजना के लिए अपेक्षित उपकरण तीन क्रय आदेश दिनांक 17.05.2019 (इसके बाद "पीओ दिनांक 17.05.2019" के रूप में संदर्भित) जारी करके खरीदे, जिनके क्रमांक प्लस 91एसएस/पीओ-02/आईओसीएल/2019-2020, प्लस 91एसएस/पीओ-04/आईओसीएल/2019-20 और प्लस 91एसएस/पीओ-03/आईओसीएल/2019-20 हैं, जिनकी कीमत क्रमशः रु. 19,393,857/-, रु. 10,179,645/- और रु. 12,565,946/- है, कुल राशि रु. 4,21,39,448/- है।

4. दिनांक 17.05.2019 के तीन पीओ के अनुसार, वादी ने उक्त पीओ में निर्दिष्ट तीनों साइटों अर्थात् जालंधर, जम्मू और संगरूर में उपकरणों की आपूर्ति

की है। प्रतिवादी सं. 1 ने भी दिनांक 31.07.2019 से दिनांक 24.09.2019 तक विभिन्न ईमेल के माध्यम से उक्त उपकरणों की प्राप्ति की पुष्टि की है।

5. दिनांक 17.05.2019 के उपरोक्त पीओ पर भरोसा करते हुए, वादी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि अपेक्षित स्थानों पर उपकरण की डिलीवरी के लिए भुगतान प्रतिवादी सं. 1 द्वारा डिलीवरी की तारीख से 120 दिनों के भीतर पोस्टडेटेड चेक (जिसे आगे "पीडीसी" कहा जाएगा) के माध्यम से किया जाना था।

6. वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को आपूर्ति किए गए उपकरणों के लिए दिनांक 17.05.2019 के तीन पीओ के अनुसार पंद्रह चालान जारी किए थे। उक्त चालान कुल 4,21,39,402.95/- रुपये की राशि के थे।

7. उपरोक्त चालान में निर्धारित भुगतान शर्तों के अनुसार, जारी किए गए चालान के भुगतान की देय तिथियां 28.11.2019, 21.12.2019, 28.12.2019, 15.01.2020 और 22.01.2020 थीं।

8. वादी द्वारा उठाए गए उक्त चालानों के अनुसार और 17.05.2019 के पीओ में निर्धारित भुगतान की शर्तों के अनुसार, प्रतिवादी सं. 1 ने वादी को एक पीडीसी दिनांक 28.11.2019, एक पीडीसी दिनांक 21.12.2019, एक पीडीसी दिनांक 28.12.2019, एक पीडीसी दिनांक 16.01.2020 और दो पीडीसी दिनांक 22.01.2020 (कुल 4,21,39,448 रुपये) जारी किए हैं।

9. प्रथम पीडीसी अर्थात दिनांक 28.11.2019 की पीडीसी के नकदीकरण की तिथि से पहले प्रतिवादी सं. 1 ने चालान के भुगतान के लिए विस्तार की मांग की थी। प्रतिवादी सं. 1 के इस अनुरोध को वादी द्वारा पक्षों के बीच सहमत भुगतान शर्तों के मद्देनजर अस्वीकार कर दिया गया है।

10. वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 वादी द्वारा लगाए गए बिलों का भुगतान करने में विफल रहा है और वादी ने कुछ बकाया राशि के कारण वादी को भुगतान करने में उक्त विफलता/इनकार को उचित ठहराने का प्रयास किया है, जो कथित रूप से आईओसीएल परियोजना से पहले वादी और प्रतिवादी सं. 1 के बीच निष्पादित अलग-अलग समझौतों के तहत वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को देय थे।

11. वादी का मामला यह है कि प्रतिवादी सं. 1 को उपकरण प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित दिनांक 17.05.2019 के पीओ के अनुसार आपूर्ति किए गए थे, और प्रतिवादी सं. 1 द्वारा इसके अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 17.05.2019 के पीओ वादी और प्रतिवादी सं. 1 के बीच एक अलग अनुबंध बनाते हैं और वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के साथ निष्पादित पूर्व परियोजनाओं से उनका कोई संबंध नहीं है।

12. दिनांक 27.11.2019 को भेजे गए ईमेल के अनुसार, प्रतिवादी सं. 1 ने वादी से आईओसीएल परियोजना के संबंध में बकाया राशि के भुगतान के लिए

विस्तार का अनुरोध किया था, हालांकि, वादी द्वारा ऐसा कोई विस्तार नहीं दिया गया।

13. दिनांक 22.11.2019 को ईमेल के माध्यम से, प्रतिवादी सं. 1 ने वादी को सूचित किया कि प्रतिवादी सं. 1 वादी को तब तक कोई भुगतान जारी नहीं करेगा जब तक कि निम्नलिखित मुद्दे स्पष्ट नहीं हो जाते: “(i) भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण की परियोजना डिजाइन, विकास, परीक्षण, कार्यान्वयन और ओ और एमई बोर्डिंग - बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम (बीबीएस) परियोजना के लिए प्लस 91 मूल्य के 84 करोड़ रुपये के पीओ जारी करना (ii) जीएमडीए के लिए आगे के पीओ और भुगतान परियोजना (iii) मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी परियोजना का रोडमैप।

14. वादी ने प्रतिवादी सं. 1 के दिनांक 22.11.2019 के ईमेल का दिनांक 25.11.2019 के ईमेल के माध्यम से उत्तर दिया और कहा कि प्रतिवादी सं. 1 के दिनांक 22.11.2019 के ईमेल में उल्लिखित परियोजनाओं का आईओसीएल परियोजना से कोई संबंध नहीं है। वादी द्वारा यह दोहराया गया कि आईओसीएल परियोजना के संबंध में पीओ के अनुसार, वादी ने सामग्री साइट पर पहुंचा दी थी, सामग्री प्रतिवादी सं. 1 द्वारा विधिवत प्राप्त कर ली गई थी और पीओ के अनुसार पीडीसी भी वादी के पास उपलब्ध थे।

15. दिनांक 25.11.2019 के ईमेल के अनुसार, प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के दिनांक 25.11.2019 के ईमेल का जवाब देते हुए कहा कि प्रतिवादी सं. 1 के दिनांक 22.11.2019 के ईमेल में उल्लिखित सभी परियोजनाएँ संबंधित थीं।

इसके बाद, ईमेल दिनांक 25.11.2019 (दोपहर 12:38 बजे) के माध्यम से, वादी ने प्रतिवादी सं. 1 के उपरोक्त ईमेल का जवाब दिया और फिर से दोहराया कि आईओसीएल परियोजना के संबंध में डिलीवरी पूरी हो गई थी और यह अनुरोध किया गया था कि भुगतान किया जाए। निर्धारित नियत तिथि के अनुसार मंजूरी दे दी गई है।

16. ऐसा कहा जा रहा है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी को दिनांक 27.11.2019 को एक ईमेल भेजा गया था, जिसमें आईओसीएल परियोजना के संबंध में पुनः अनुरोध किया गया था कि बकाया राशि के भुगतान के लिए प्रतिवादी सं. 1 को विस्तार दिया जाए।

17. उसी तारीख को, यानी 27.11.2019 को, वादी ने प्रतिवादी सं. 1 के उपरोक्त ईमेल का जवाब दिया, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* कहा गया कि आईओसीएल परियोजना के संबंध में बकाया राशि के भुगतान के लिए किसी भी विस्तार के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ था और वादी द्वारा यह दोहराया गया था कि आईओसीएल परियोजना के तहत बकाया राशि का भुगतान नियत तारीख के अनुसार किया जाना चाहिए।

18. इसके बाद, दिनांक 29.11.2019 को, प्रतिवादी सं. 1 ने वादी को एक और ईमेल भेजा, जो वादी के दिनांक 27.11.2019 के ईमेल के जवाब में था, जिसके द्वारा प्रतिवादी सं. 1 ने अनुरोध किया कि प्रतिवादी सं. 1 को आईओसीएल परियोजना के संबंध में भुगतान करने के लिए 45 दिनों की छूट अवधि दी

जाए। उपर्युक्त ईमेल में, अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि अनुबंधों के तहत परस्पर देयताएं संबंधित अनुबंध के संबंध में वादी के प्रति देयता को "संतुलित" करेंगी।

19. दिनांक 29.11.2019 को, वादी ने भुनाने के लिए दिनांक 28.11.2019 की पहली पीडीसी प्रस्तुत की, हालांकि, वादी को उसके बैंक द्वारा सूचित किया गया कि चेक जारीकर्ता यानी प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भुगतान रोक दिए जाने के कारण चेक अप्राप्ति के साथ वापस आ गया था।

20. इसी तरह, दिनांक 29.01.2020 को, वादी ने फिर से पीडीसी दिनांक 28.11.2019 के साथ-साथ अन्य पांच पीडीसी को नकदीकरण के लिए प्रस्तुत किया, हालांकि, प्रत्येक चेक के लिए, वादी को बैंक द्वारा सूचित किया गया था कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भुगतान रोके जाने के कारण चेक को बिना वसूल किए वापस कर दिया गया था।

21. प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वादी को जारी दिनांक 14.05.2020 के कानूनी नोटिस में, प्रतिवादी सं. 1 ने स्वीकार किया है कि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को कुल 4,21,39,451/- रुपये के उपकरण की आपूर्ति की थी। प्रतिवादीगण ने कई ईमेल के माध्यम से आईओसीएल के सभी तीन साइटों पर उपकरणों की प्राप्ति को भी स्वीकार किया है, हालांकि, वादी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 ने कुछ अन्य परियोजनाओं के संबंध में कुछ बाहरी मुद्दों पर भरोसा करके दिनांक 17.05.2019 के पीओ के तहत अपने भुगतान दायित्वों के

उल्लंघन को सही ठहराने की कोशिश की है, जो किसी भी तरह से आईओसीएल परियोजना या 17.05.2019 के पीओ से संबंधित नहीं हैं।

22. परिवाद में यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 का अन्य असंबंधित परियोजनाओं से संबंधित कथित मुद्दों पर भरोसा करके वादी को दिनांक 17.05.2019 के पीओ के संबंध में भुगतान से वंचित करना गलत, अवैध और गलत है, क्योंकि ये अन्य परियोजनाएं आईओसीएल परियोजना से पूरी तरह से अलग और भिन्न थीं, जिसके लिए दिनांक 17.05.2019 के उपरोक्त पीओ जारी किए गए थे।

23. वर्तमान वाद की रक्षा के लिए अनुमति मांगने वाला वर्तमान आवेदन प्रतिवादी सं. 1 की ओर से दायर किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि प्रतिवादीगण को वर्तमान वाद की रक्षा के लिए बिना शर्त अनुमति प्रदान की जाए।

24. प्रतिवादीगण ने दावा किया है कि आईओसीएल परियोजना से पहले, वादी और प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त रूप से विभिन्न अन्य परियोजनाओं पर काम कर रहे थे और ऐसी दो परियोजनाएं गुडगांव महानगर विकास प्राधिकरण (जिसे आगे "जीएमडीए परियोजना" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (जिसे आगे "एएआई परियोजना" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के लिए थीं।

25. प्रतिवादी सं. 1, वादी और मेसर्स निवेश टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 27.11.2018 को एक संघ समझौता किया गया है। वादी, प्रतिवादी सं. 1 और मेसर्स निवेश टेक्नोलॉजीज से मिलकर बने उक्त संघ ने जीएमडीए परियोजना को क्रियान्वित किया है, और संघ समझौते की शर्तों और जीएमडीए द्वारा उक्त परियोजना के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार, वादी को जीएमडीए परियोजना के अनुबंध मूल्य के 20% के बराबर पीओ जारी करने थे, जिसकी राशि लगभग 12,82,31,062/- रुपये है, जिसमें से वादी ने केवल 4,23,89,658.02/- रुपये के पीओ जारी किए हैं और शेष राशि के संबंध में अभी भी पीओ जारी करना बाकी है। जीएमडीए परियोजना में पीओ जारी करने में वादी की ओर से की गई देरी के कारण जीएमडीए परियोजना के पूरा होने में देरी हुई।

26. इसी तरह, प्रतिवादी सं. 1 द्वारा यह दावा किया गया है कि वादी और प्रतिवादी सं. 1 भी एएआई परियोजना के निष्पादन के लिए दिनांक 16.05.2019 के समझौता ज्ञापन (जिसे आगे "एमओयू" से संदर्भित किया जाएगा) के पक्षकार थे, और वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को आश्वासन दिया था कि प्रतिवादी सं. 1 को उक्त एमओयू के अनुसार पीओ दिए जाएंगे। वादी को उक्त एमओयू के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल बताया गया है, जिसके कारण प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की थी, जिसके

तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में और वादी के खिलाफ 8,43,07,904/- रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है।

27. प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी के पक्ष में जो चेक जारी किए गए थे, उनके बारे में कहा गया है कि वे वादी के इस आश्वासन और प्रतिबद्धता पर जारी किए गए थे कि वे अन्य परियोजनाओं जैसे कि जीएमडीए परियोजना और एएआई परियोजना के लिए आगे पीओ जारी करेंगे।

28. प्रतिवादी सं. 1 द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 21.11.2019, 22.11.2019, 25.11.2019, 27.11.2019 और 29.11.2019 के ईमेल के माध्यम से प्रतिवादी सं. 1 ने वादी से अनुरोध किया था कि वादी और प्रतिवादी सं. 1 के बीच यह देखते हुए एक समग्र समझौता किया जाए कि जीएमडीए परियोजना और एएआई परियोजना के संबंध में प्रतिवादी सं. 1 के प्रति वादी की देयता के मद्देनजर प्रतिवादी सं. 1 की कथित देयता समाप्त हो गई थी।

29. प्रतिवादी सं. 1 द्वारा यह कहा गया है कि वादी के दिनांक 31.03.2020 के ईमेल के माध्यम से, वादी ने स्वीकार किया था कि दोनों पक्षों से राशि देय थी और एक दूसरे के खिलाफ समायोजित की जा सकती है।

30. प्रतिवादी सं. 1 का दावा है कि विभिन्न विचारणीय मुद्दे हैं जिनके लिए वर्तमान वाद में इस न्यायालय पर विचार करने की आवश्यकता है और इसलिए

प्रतिवादीगण को वर्तमान वाद का बचाव करने के लिए बिना शर्त छुट्टी दी जानी चाहिए।

31. प्रतिवादीगण के अनुसार, निम्नलिखित मुद्दे विचारणीय मुद्दे हैं जो प्रतिवादीगण को वर्तमान वाद का बचाव करने का अधिकार देते हैं: (i) क्या प्रतिवादीगण की ओर से कोई स्वीकारोक्ति है जैसा कि वादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी 4,21,39,402.95 रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है ?; (ii) क्या वादी ब्याज का हकदार है और यदि हां, तो किस दर पर? और (iii) क्या प्रतिवादी ने पीडीसी को वादी को सुरक्षा चेक के रूप में सौंप दिया, जो वादी के आश्वासन और प्रतिबद्धता पर आगे पीओ जारी करने के लिए था, जो पहले से ही अन्य परियोजनाओं के कारण देय थे?;

32. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत बचाव न तो दिखावा है और न ही बनावटी, और इसलिए, प्रतिवादीगण को वर्तमान वाद का बचाव करने की अनुमति दी जानी चाहिए। *आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड बनाम हबटाउन लिमिटेड* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि बचाव के लिए अनुमति दिए जाने के उद्देश्य से प्रतिवादीगण को एक अच्छा बचाव नहीं बल्कि एक वास्तविक और उचित बचाव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

33. प्रतिवादीगण ने *बीएल कश्यप एंड संस बनाम जेएमएस स्टील एंड पावर* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने की मांग की है, ताकि यह

प्रस्तुत किया जा सके कि बचाव के लिए अनुमति देना नियम है और इनकार करना अपवाद है। यह प्रस्तुत किया गया है कि बचाव के लिए अनुमति केवल उन मामलों में नहीं दी जानी चाहिए जहां प्रतिवादी के पास कोई बचाव नहीं है और जहां किसी भी परीक्षण योग्य मुद्दे की कोई झलक नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादीगण के पास योग्यता के आधार पर एक अच्छा मामला है और कई परीक्षण योग्य मुद्दे हैं, जिन्हें संक्षेप में नहीं सुना जा सकता है, जैसा कि सि.प्र.स. के आदेश XXXVII में परिकल्पित है।

34. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने *श्रीमती नीलम बत्रा बनाम श्री वी. रामचंद्र राव* में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि यदि प्रतिवादी विचारणीय मुद्दे उठाते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उनके पास उचित या तर्कसंगत बचाव है, यद्यपि यह सकारात्मक रूप से अच्छा बचाव नहीं है, तो वादी सारांश निर्णय का हकदार नहीं है, और प्रतिवादी सामान्यतः बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति के हकदार होंगे।

35. प्रतिवादीगण के उपरोक्त तर्कों का वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया है कि वर्तमान वाद सि.प्र.स. के आदेश XXXVII की अपेक्षाओं को पूरा करता है, क्योंकि यह पक्षकारों के बीच लिखित अनुबंध पर आधारित है, जिसमें पीओ, चालान और पीडीसी शामिल हैं तथा वर्तमान आवेदन के माध्यम से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया बचाव पूरी तरह से असमर्थनीय और बनावटी है।

36. वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने *बी.एल. कश्यप* (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसमें कहा गया है कि पीओ सि.प्र.स. के आदेश XXXVII नियम 1 (2) (ख) (झ) के तहत एक लिखित अनुबंध का गठन करते हैं। यह बताने के लिए *मेसर्स लोहमैन रौशर जीएमबीएच बनाम मेसर्स मेडिसफेयर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड* पर भी भरोसा किया गया है कि चालान भी सि.प्र.स. के आदेश XXXVII नियम 1 (2) (ख) (झ) के तहत एक लिखित अनुबंध का गठन करते हैं। इसके अलावा, वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने *आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड बनाम मावेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य* में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा है कि चेक भी सि.प्र.स. के आदेश XXXVII नियम 1 (2) (ख) (झ) के तहत एक लिखित अनुबंध का गठन करते हैं।

37. वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि जीएमडीए परियोजना या एएआई परियोजना के संबंध में वादी के खिलाफ उनके कथित बकाया दावों से प्रतिवादीगण का दायित्व प्रभावित नहीं होता है। यह दलील दी गई है कि अन्य परियोजनाओं/अन्य अनुबंधों के तहत उत्पन्न होने वाले प्रतिदावे सारांश कार्यवाही में वैध बचाव के रूप में नहीं माने जाएंगे। इस संबंध में, वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने *पंजाब और सिंध बैंक बनाम एस के तुलशान, इयूश रैंको जीएमबीएच बनाम श्री मोहन मूर्ति और कॉफ़ेक्स एक्सपोर्ट्स बनाम केनरा बैंक* में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करने की मांग की है।

38. वादी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि जीएमडीए परियोजना से उत्पन्न होने वाले दावे न तो सि.प्र.स. के आदेश VIII नियम 6 के तहत वैधानिक मुजरा कर सकते हैं, न ही न्यायसंगत मुजरा हो सकता है। इस संबंध में, वादी ने *नरसिंह राव रामकृष्णय्या बनाम वीरय्या राजन्ना और अन्य* में हैदराबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और *भारत संघ बनाम करम चंद थापर* मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

39. इसके अलावा, वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने *वी. के. एंटरप्राइजेज बनाम शिवा स्टील्स* के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि चेक आमतौर पर स्वीकृत बकाया राशि के परिसमापन के लिए जारी किए जाते हैं और सुरक्षा के रूप में उनके जारी करने से इनकार करना (और प्रस्तुति के लिए नहीं) अपर्याप्त है।

40. वादी के अनुसार, जीएमडीए परियोजना को दिनांक 27.11.2018 के एक संघ समझौते द्वारा शासित बताया गया है जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल है, और इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि जीएमडीए परियोजना से उत्पन्न होने वाले दावों को वर्तमान वाद में नहीं उठाया जा सकता है।

41. इसी तरह, यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी के खिलाफ प्रतिवादी की देयता एएआई परियोजना में प्रतिवादीगण के दावों से ग्रहण नहीं की जाएगी क्योंकि एएआई परियोजना दिनांक 16.05.2019 के एक समझौता ज्ञापन द्वारा शासित है, जिसमें एक मध्यस्थता खंड भी शामिल है। यह आगे प्रस्तुत किया

गया है कि प्रतिवादी सं. 1 ने पहले ही एएआई परियोजना के संबंध में विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर दिया है और इसलिए, इस तरह के दावों को वर्तमान सारांश वाद कार्यवाही में फिर से उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि एएआई परियोजना के तहत उत्पन्न होने वाले प्रतिवादी सं. 1 के दावों की वर्तमान वाद में वादी के दावों के खिलाफ मुजराई नहीं की जा सकती है और न ही उन्हें वर्तमान कार्यवाही में प्रतिदावे के रूप में बचाव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

42. वादी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जारी किए गए चेक प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अन्य परियोजनाओं के कारण आगे पीओ जारी करने के लिए वादी के आश्वासन और प्रतिबद्धता पर जारी नहीं किए गए थे, जैसा कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दावा किया गया था, लेकिन उक्त पीडीसी को दिनांक 17.05.2019 के पीओ का हिस्सा बनाने के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त/शर्त के रूप में जारी किया गया था।

विक्षेपण और निष्कर्ष

43. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 17.05.2019 को 1,93,93,857/- रुपये (पीओ संख्या प्लस 91एसएस/पीओ-02/आईओसीएल/2019-20), 1,01,79,645/- रुपये (पीओ संख्या प्लस 91एसएस/पीओ-04/आईओसीएल/2019-20) और 1,25,65,946/-

रुपये (पीओ संख्या प्लस 91एसएस/पीओ-03/आईओसीएल/2019-20) (कुल 4,21,39,448/- रुपये) के तीन पीओ जारी किए गए थे।

44. वादी के पक्ष में प्रतिवादी सं. 1 कंपनी द्वारा जारी किए गए दिनांक 17.05.2019 के तीन पीओ में समान शर्तें हैं; उक्त तीन पीओ में से एक को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

 Plus 91 Security Solutions Regd. Office : Plot No.60, Ground Floor, Street No.2, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092 Phone : 9811144332 / 9654227759																						
PURCHASE ORDER / WORK ORDER Purchase Order No.: Plus91SS / PO-02/IOCL/2019-20 Date: 17/05/2019																						
To, NEC Technologies India Pvt Ltd. 1st Floor, 101 to 116, Splendor Forum 3, District Centre, Jasola, New Delhi-110025 PAN No.: AACCN3496J GST No - 07AACCN3496J1Z4	Ship To: C/O Santosh Jha (+91 7290085335) Indian Oil Corporation Ltd. Marketing Division Pipeline Terminal, Suchi Pind Jalandhar-144009																					
Bill To: Attn: Shivani Gupta Plus 91 Security Solutions Plot No.60, Ground Floor, Street No.2, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092 Phone: 9811144332, 9654227759 Email: shivani.garg@plus91securitysolutions.com GST No - 07AALFP9830C1Z4																						
Please furnish us with the following Item(s) / service(s) in accordance to our specifications																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sr. No.</th> <th>Line Item No.</th> <th>Description of Item</th> <th>Qty(Mtr)</th> <th>Qty(Coil)</th> <th>Unit Price</th> <th>Total Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>As Per Annexure-1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>19393857</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total</td> <td>19393857</td> </tr> </tbody> </table>	Sr. No.	Line Item No.	Description of Item	Qty(Mtr)	Qty(Coil)	Unit Price	Total Amount	1		As Per Annexure-1	-	-	-	19393857	Total						19393857	Currency: INR
Sr. No.	Line Item No.	Description of Item	Qty(Mtr)	Qty(Coil)	Unit Price	Total Amount																
1		As Per Annexure-1	-	-	-	19393857																
Total						19393857																
Grand Total (In words) : Rupees One Crore Ninety Three Lakh Ninety Three thousand Eight hundred Fifty Seven Only																						
Terms :- Delivery: At site as discussed Insurance: Insurance shall be borne by Supplier Freight: Inclusive Payment Terms: 120 days PDC from the date of delivery of material at respective location Taxes: Inclusive Warranty: As Applicable																						
Remarks 1) Warranty Certificate needs to be furnished as per tender requirement (as per OEM) 2) All product supplied by OEM has to be 100% complied as per the IOCL requirements with no single deviation. 3) Technical Specification and Data Sheet Need to be provided by supplier. 4) Test Certificate Provide By Supplier																						
Acknowledged By _____	Originated By _____																					
 For Plus 91 Security Solutions Plot 60, GF, Street No-2 Lalita Park Laxmi Nagar Delhi-110092 Auth. Sign <i>Shivani Gupta</i>																						

45. उक्त पीओ में निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

शर्त:-	
डिलीवरी	चर्चा के अनुसार साइट पर
बीमा	बीमा का खर्च आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा
माल भाड़ा	सहित
भुगतान शर्त	संबंधित स्थान पर सामग्री की डिलीवरी तिथि से 120 दिन की पीडीसी
कर	सहित
वारंटी	जैसा लागू हो

46. वादी ने जालंधर, जम्मू और संगरूर से संबंधित दिनांक 17.05.2019 के तीन पीओ के संबंध में निम्नलिखित चालान बनाए:

चालान तिथि	चालान सं.	क्रय ऑर्डर संदर्भ	चालान राशि (रु. में)	भुगतान देय तिथि
31.07.2019	आईएन 1901040158	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ-02/आईओसीएल/2019-20	7,661,875.70	28.11.2019
31.07.2019	आईएन 1901040160	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ-03/आईओसीएल/2019-20	5,603,444.48	28.11.2019
31.07.2019	आईएन 1901040159	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ-04/आईओसीएल/2019-20	3,750,862.05	28.11.2019
23.08.2019	आईएन 1901040171	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ-02/आईओसीएल/2019-20	2,841,936.42	21.12.2019
23.08.2019	आईएन 1901040170	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ-03/आईओसीएल/2019-20	2,382,211.43	21.12.2019
23.08.2019	आईएन 1901040172	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ-04/आईओसीएल/2019-20	1,212,002.37	21.12.2019
30.08.2019	आईएन 1901040192	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ-02/आईओसीएल/2019-20	820,332.80	28.12.2019

30.08.2019	आईएन 1901040191	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ- 03/आईओसीएल/2019-20	820,332.80	28.12.2019
30.08.2019	आईएन 1901040193	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ- 04/आईओसीएल/2019-20	427,620.48	28.12.2019
17.09.2019	आईएन 1901040213	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ- 02/आईओसीएल/2019-20	3,322,674.68	15.01.2020
17.09.2019	आईएन 1901040212	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ- 03/आईओसीएल/2019-20	3,093,349.94	15.01.2020
17.09.2019	आईएन 1901040214	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ- 04/आईओसीएल/2019-20	2,791,685.30	15.01.2020
24.09.2019	आईएन 1901040229	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ- 02/आईओसीएल/2019-20	4,747,007.03	22.01.2020
24.09.2019	आईएन 1901040228	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ- 03/आईओसीएल/2019-20	666,604.63	22.01.2020
24.09.2019	आईएन 1901040227	पीएलयूएस91 एसएस/पीओ- 04/आईओसीएल/2019-20	1,997,462.84	22.01.2020
कुल			42,139,402	

47. उक्त चालान में भुगतान की नियत तिथि निर्धारित की गई थी, जो क्रमशः दिनांक 28.11.2019, 21.12.2019, 28.12.2019, 15.01.2020 और 22.01.2020 थी। उक्त चालान में भुगतान की शर्तें "शुद्ध 120 दिन" बताई गई हैं और कहा गया है कि अतिदेय राशि पर 1.5% प्रति माह की दर से ब्याज लगाया जा सकता है।

48. वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 पर उठाए जा रहे उक्त चालान के अनुसार, प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के पक्ष में निम्नलिखित पीडीसी जारी किए:

चेक सं.	चेक तिथि	राशि
001441	28/11/2019	17,016,180
001477	21/12/2019	6,436,152
001496	28/12/2019	2,068,284
001497	16/01/2020	9,207,711
001524	22/01/2020	1,997,476
001476	22/01/2020	5,413,645
कुल		42,139,448

49. वर्तमान आवेदन में, प्रतिवादी सं. 1 द्वारा यह विवादित नहीं है कि दिनांक 17.05.2019 के उक्त पीओ प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जारी किए गए थे। उक्त पीओ पर प्रतिवादी सं. 1 की कंपनी की मुहर लगी है और उस पर प्रतिवादी सं. 1 के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर हैं। यह भी विवादित नहीं है कि वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 17.05.2019 के पीओ के अनुसार माल की आपूर्ति की गई थी। यह भी विवादित नहीं है कि वादी द्वारा जारी किए गए चालान वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 17.05.2019 के पीओ के तहत माल की आपूर्ति के संबंध में हैं।

50. दिनांक 17.05.2019 के पीओ और उसके तहत उठाए गए चालान भी स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि भुगतान पीडीसी के माध्यम से होगा।

51. प्रतिवादीगण ने उक्त पीडीसी जारी करने के आशय के बारे में विवाद उठाने की कोशिश की है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें 'सुरक्षा' के रूप में जारी किया गया था, और वादी द्वारा अन्य असंबंधित परियोजनाओं के संबंध में आगे और खरीद आदेश जारी करने का आश्वासन दिया गया था, हालांकि, अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रतिवादीगण के उक्त संस्करण को पुष्ट करता हो।

52. इसके विपरीत, वादी द्वारा जारी किए गए चालानों के अवलोकन से पता चलता है कि वादी द्वारा दिनांक 17.05.2019 के पीओ के अनुसरण में जारी किए गए चालानों में स्पष्ट रूप से देय तिथि/तिथियाँ निर्धारित की गई हैं; प्रासंगिक देय तिथियाँ 28.11.2019, 21.12.2019, 28.12.2019, 15.01.2020 और 22.01.2020 हैं। प्रतिवादीगण द्वारा जारी पीडीसी भी दिनांक 28.11.2019, 21.12.2019, 28.12.2019, 16.01.2020 और 22.01.2020 के हैं। जाहिर है, उक्त पीडीसी प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 17.05.2019 के पीओ के संदर्भ में जारी किए गए थे। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जारी किए गए चेक कुल 42,139,448 रुपये के हैं, जो दिनांक 17.05.2019 के तीन खरीद आदेशों के मूल्य का कुल योग भी है। चेक की तिथियां भी वादी द्वारा उठाए गए चालान में निहित देय तिथियों के अनुरूप हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पीडीसी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 17.05.2019 के पीओ के तहत अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए जारी किए गए थे और वादी द्वारा किसी आश्वासन के आधार पर या प्रतिवादीगण द्वारा दावा किए गए 'सुरक्षा' के रूप में नहीं थे।

53. वादी को *वी. के. एंटरप्राइज* (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी समर्थन प्राप्त है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने *अन्य बातों के साथ-साथ* यह माना है कि चेक आम तौर पर उन बकाया राशि के परिसमापन के लिए जारी किए जाते हैं जिन्हें स्वीकार किया जाता है। बिना किसी अन्य बात को साबित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं होने के बावजूद, यह स्पष्ट है कि पीडीसी प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 17.05.2019 के पीओ के अनुसरण में जारी किए गए थे, न कि सुरक्षा चेक के रूप में जारी किए गए थे।

54. दिनांक 17.05.2019 के पीओ में निर्दिष्ट उपकरणों की प्राप्ति को प्रतिवादीगण ने अपने ईमेल दिनांक 30.08.2019 के *माध्यम* से भी स्वीकार किया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

From: Sameer Sagar <sameer@plus91securitysolutions.com>
Sent: Friday, August 30, 2019 1:47:49 PM
To: Vaibhav Jain <vaibhav.j@india.nec.com>
Cc: Kumud Ratra <kumud@savivision.com>; Karan Bera <account1@savivision.com>; Atul Aggarwal <atul.aggarwal@plus91securitysolutions.com>; Accounts Plus 91SS <accounts@plus91securitysolutions.com>; Isteyaque Ahmad Kaife <kaife@plus91securitysolutions.com>; Shivani Garg <shivani.garg@plus91securitysolutions.com>; Shweta Chauhan <sales@savivision.com>
Subject: Re: Sales Quotation

Dear Sir,

We have received all material at 3 locations i.e Jalandhar, Jammu and Sangrur.

Regards,

Sameer Sagar
Project Lead
{+91-729-002-4978
✉ sameer@plus91securitysolutions.com

सभी वस्तुओं की प्राप्ति की पुष्टि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.09.2019 को भेजे गए ईमेल के माध्यम से की गई, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

From: Sameer Sagar <sameer@plus91securitysolutions.com>
Sent: 15 September 2019 21:14
To: Vaibhav Jain
Cc: lalit sharma; Dinesh Patel; Shivani Garg; Jai Desai; Atul Aggarwal; Accounts Plus
 91SS; Isteyaque Ahmad Kaife
Subject: Re: DRAFT LC FORMAT
Attachments: image003.jpg

Dear Sir,

We have received all items at 3 locations.

Regards,

Sameer Sagar
 Project Lead
 (+91- 729-002-4978
 ✉ sameer@plus91securitysolutions.com

55. इसके अलावा, प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी को जारी किए गए दिनांक 14.05.2020 के विधिक नोटिस में, अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है:

“8. आपने मेरे मुवक्किल को विभिन्न अवसरों पर कुल 4,21,39,451/- रुपये की राशि के विभिन्न उपकरण आपूर्ति किए। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आपने विभिन्न परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार के उपकरण आपूर्ति किए हैं, जैसे जालंधर परियोजना के लिए 1,93,93,857/- रुपये, संगरूर परियोजना के लिए 1,25,65,949/- रुपये और जम्मू परियोजना के लिए 1,01,79,645/- रुपये।”

56. उपरोक्त तथ्यात्मक विवरण में, प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उठाया जाने वाला प्राथमिक बचाव यह है कि आईओसीएल परियोजना के अलावा, जिसके संबंध में

उपरोक्त पीओ दिनांक 17.05.2019 को जारी किए गए थे, वादी और प्रतिवादी सं. 1 अन्य परियोजनाओं में समकालिक रूप से लगे हुए थे, जो जीएमडीए परियोजना और एएआई परियोजना हैं, जिनके संबंध में वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे, और आईओसीएल परियोजना के संबंध में 17.05.2019 को जारी तीन पीओ के तहत प्रतिवादी सं. 1 की देयता अन्य परियोजनाओं के तहत वादी की देयता के कारण समाप्त हो गई है।

57. उपरोक्त तर्क पूरी तरह से असमर्थनीय है।

58. जीएमडीए परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसे वादी, प्रतिवादी सं. 1 और एक अन्य कंपनी से मिलकर बने संघ द्वारा किया गया था। संघ के समझौते और जीएमडीए परियोजना के नियमों और शर्तों के अवलोकन से पता चलता है कि जीएमडीए परियोजना में कार्य के निष्पादन का दिनांक 17.05.2019 के पीओ के साथ कोई संबंध नहीं है। संघ के समझौते के साथ-साथ जीएमडीए परियोजना के नियमों और शर्तों में एक मध्यस्थता खंड भी शामिल है। उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने वाले संघ के पक्षों/सदस्यों के बीच किसी भी विवाद को उस समझौते के ढांचे के तहत हल करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, *भारत संघ बनाम रोमन फाउंड्री* में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार किसी पक्ष द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के मामले में, उल्लंघन करने वाला पक्ष तुरंत कोई आर्थिक दायित्व नहीं उठाता है अनुबंध के उल्लंघन से पीड़ित पक्ष के पास एकमात्र अधिकार, क्षतिपूर्ति के लिए वाद

दायर करने का अधिकार है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“11. खंड 18 की उचित व्याख्या पर चर्चा करने के बाद, अब हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी को अन्य अनुबंधों के तहत देय राशियों को हड़पने के लिए दावा किए जाने की वास्तविक प्रकृति क्या है। यह दावा निस्संदेह पक्षों के बीच अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति के लिए है। अब, यह सच है कि दावा किए गए हर्जाने खंड 14 के तहत परिसमाप्त हर्जाना हैं, लेकिन जहां तक भारत में कानून का सवाल है, दावे की प्रकृति में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, चाहे वह परिसमाप्त हर्जाना हो या अपरिष्कृत हर्जाना। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 74 परिसमाप्त हर्जाने के भुगतान के लिए प्रावधान करने वाले अनुबंधों और दंड की प्रकृति के अनुबंधों के बीच अंतर करने में अंग्रेजी सामान्य कानून के तहत किए गए कुछ हद तक विस्तृत परिशोधनों को समाप्त करती है। सामान्य कानून के तहत आपसी समझौते द्वारा हर्जाने का वास्तविक पूर्व-अनुमान परिसमाप्त हर्जाने का नाम देने वाला अनुबंध माना जाता है और पक्षों के बीच बाध्यकारी होता है: किसी अनुबंध में किसी शर्त को दंड माना जाता है और न्यायालय इसे लागू करने से इंकार कर देता है, तथा पीड़ित पक्ष को केवल उचित मुआवजा प्रदान करता है। भारतीय विधानमंडल ने अंग्रेजी सामान्य कानून के तहत नियमों और अनुमानों के जाल को तोड़ने का प्रयास किया है, तथा सभी शर्तों पर लागू एक समान सिद्धांत को अधिनियमित किया है, जिसमें उल्लंघन के मामले में भुगतान की जाने वाली राशि और दंड के रूप में शर्तें शामिल हैं, तथा इस सिद्धांत के अनुसार, भले ही निश्चित क्षति के रूप में कोई शर्त हो, अनुबंध के उल्लंघन की परिवाद करने वाला पक्ष केवल उसके द्वारा सहन की गई चोट के लिए उचित मुआवजा प्राप्त कर सकता है, निर्धारित राशि केवल बाहरी सीमा है। इसलिए, वर्तमान मामले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपीलार्थी का दावा निश्चित क्षति के लिए है। यह अनिर्धारित क्षति के लिए दावे के समान ही है। अब कानून अच्छी तरह से तय हो गया है कि जब तक देनदारी का निर्णय नहीं हो जाता है और न्यायालय या अन्य न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के डिक्री या आदेश द्वारा नुकसान का आकलन नहीं किया जाता है, तब तक गैर-निष्पादित क्षति का दावा ऋण में वृद्धि नहीं करता है। **जब अनुबंध का उल्लंघन होता है, तो उल्लंघन करने वाले पक्ष पर तत्काल कोई आर्थिक**

दायित्व नहीं आता है. न ही उल्लंघन की शिकायत करने वाला पक्ष दूसरे पक्ष से देय ऋण का हकदार होता है। अनुबंध के उल्लंघन से पीड़ित पक्ष के पास एकमात्र अधिकार है कि वह क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर कर सकता है। यह एक कार्रवाई योग्य दावा नहीं है और यह स्थिति संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 6(ड) में संशोधन से पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, जो यह प्रावधान करती है कि नुकसान के लिए वाद दायर करने के मात्र अधिकार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इंग्लैंड में हमेशा से यही कानून रहा है और 1858 में ही हम इसे वाइटमैन, जे द्वारा जोन्स बनाम थॉम्पसन [(1858) 27 एलजे क्यूबी 234: 120 ईआर 430] में कहा हुआ पाते हैं, "एक्सपार्टे चार्ल्स और कई अन्य मामलों में यह निर्णय लिया गया कि अनिर्धारित नुकसान के लिए एक कार्रवाई में निर्णय की राशि तब तक ऋण नहीं है जब तक कि निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते"। इस मामले में यह माना गया कि जूरी द्वारा वादी के पक्ष में निर्णय लौटाने के बाद भी नुकसान के लिए दावा तब तक ऋण नहीं बनता जब तक कि निर्णय वास्तव में सुनाया नहीं जाता। इसी तरह ओ'ड्रिस्कॉल बनाम मैन्चेस्टर इंश्योरेंस कमेटी [(1915) 3 केबी 499: 113 एलटी 683] में स्विनफेन ईडी, एल जे ने उन मामलों के संदर्भ में कहा जहां दावा अनिर्धारित क्षति के लिए था: "...ऐसे मामलों में तब तक कोई ऋण नहीं होता जब तक कि जूरी द्वारा क्षति का आकलन करने और निर्णय देने का निर्णय नहीं सुनाया जाता"। भारत में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा भी लगातार यही दृष्टिकोण अपनाया गया है। हम केवल कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं, अर्थात् जाबेद शेख बनाम ताहिर मलिक [एआईआर 1941 कैल 639: 197 आईसी 606: 45 कैल डब्ल्यूएन 519], एस मिल्खा सिंह बनाम एन के गोपाल कृष्ण मुदलियार [एआईआर 1956 पुंज 174] और आयरन एंड हार्डवेयर (इंडिया) कंपनी बनाम फर्म शामलाल एंड ब्रदर्स [एआईआर 1954 बॉम 423, 425-26: आईएलआर 1954 बॉम 739: 56 बॉम एलआर 473]। अंतिम उल्लेखित मामले में सीजे चागला ने निम्न शब्दों में कानून को बताया: (पृष्ठ 425-26 पर)

"मेरी राय में यह कहना सही नहीं होगा कि एक व्यक्ति जो अनुबंध का उल्लंघन करता है, वह किसी भी आर्थिक दायित्व को वहन करता है. और न ही यह कहना सही होगा कि अनुबंध का दूसरा पक्ष जो उल्लंघन की शिकायत करता है, उसके पास दूसरे पक्ष से कोई राशि बकाया है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, उसके पास एकमात्र अधिकार न्यायालय में जाने और हर्जाना वसूलने का अधिकार है। अब, हर्जाना वह मुआवजा है जो

न्यायालय किसी पक्ष को उस चोट के लिए देता है जो उसे लगी है। लेकिन, और यह ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है, उसे उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की ओर से किसी मौजूदा दायित्व के कारण हर्जाना या मुआवजा नहीं मिलता है। उसे न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप मुआवजा मिलता है। इसलिए, कोई आर्थिक दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होता है जब तक कि न्यायालय यह निर्धारित नहीं कर लेता कि उल्लंघन की शिकायत करने वाला पक्ष नुकसान का हकदार है। इसलिए, जब नुकसान का आकलन किया जाता है, तो यह कहना सही नहीं होगा कि न्यायालय जो कर रहा है वह पहले से मौजूद वित्तीय दायित्व का पता लगाना है। न्यायालय को सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि प्रतिवादी उत्तरदायी है और फिर वह यह आकलन करने के लिए आगे बढ़ता है कि वह दायित्व क्या है। लेकिन उस निर्धारण तक प्रतिवादी पर कोई दायित्व नहीं है।”

हमारे विचार में यह कथन सही कानूनी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है और इस पर हमारी पूरी सहमति है। इसलिए, अनुबंध के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति का दावा वर्तमान में देय और भुगतान योग्य राशि का दावा नहीं है और क्रेता, खंड 18 के तहत उसे दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए, ठेकेदार को देय अन्य राशियों को विनियोजित करके ऐसे दावे की राशि वसूलने का हकदार नहीं है। इस दृष्टिकोण से, हमारे लिए प्रतिवादी की ओर से उठाए गए अन्य तर्क पर विचार करना आवश्यक नहीं है, अर्थात्, खंड 18 के उचित निर्माण पर, क्रेता उस खंड के तहत दिए गए अधिकार का प्रयोग करने का हकदार तभी है जब किसी राशि के भुगतान का दावा या तो ठेकेदार द्वारा स्वीकार किया जाता है, या विवाद के मामले में, न्यायालय या अन्य न्यायिक प्राधिकरण द्वारा उस पर निर्णय लिया जाता है। इसलिए, हमें यह मानना होगा कि अपीलार्थी को धारा 18 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ क्षतिपूर्ति के अपने दावे की संतुष्टि के लिए प्रतिवादी के अन्य लंबित बिलों की राशि को विनियोजित करने का कोई अधिकार या प्राधिकार नहीं था और विद्वान न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को ऐसा करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करना उचित था।”

59. इसलिए, प्रतिवादी सं. 1 इन कार्यवाहियों में जीएमडीए से उत्पन्न होने वाले नुकसान या देय राशि को बंद / दावा करने का प्रयास नहीं कर सकता है क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में कोई दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होता है जब तक कि उक्त अनुबंध के कथित उल्लंघन पर निर्णय नहीं सुनाया जाता है।

60. प्रतिवादी सं. 1 का तर्क भी उतना ही असमर्थनीय है कि वादी और प्रतिवादी सं. 1 द्वारा निष्पादित एएआई परियोजना के तहत, वादी को 84 करोड़ रुपये के पीओ जुटाने के लिए बाध्य किया गया था, जो वह करने में विफल रहा, और इसलिए, प्रतिवादीगण को पीओ और चालान के तहत उनकी देयता से मुक्त किया जाना चाहिए जो वर्तमान वाद का विषय हैं। हालांकि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि एएआई परियोजना के संबंध में विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था और एक मध्यस्थ अधिनिर्णय जारी किया गया था, जिसके तहत प्रतिवादीगण को प्रति वर्ष 6% ब्याज और लागत के रूप में 1,27,30,625 रुपये के साथ 43,07,904 रुपये के नुकसान से सम्मानित किया गया है, प्रतिवादी सं. 1 ने न तो मध्यस्थ अधिनिर्णय की एक प्रति संलग्न की है और न ही प्रतिवादी सं. 1 ने अपने आवेदन में इस तरह के मध्यस्थ अधिनिर्णय का कोई उल्लेख किया है जो वर्तमान वाद का बचाव करने के लिए छुट्टी की मांग कर रहा है। किसी भी स्थिति में, प्रतिवादी सं. 1 के लिए एएआई परियोजना के संबंध में वादी के खिलाफ कार्रवाई करने, तथा यदि आवश्यक हो तो अपने पक्ष में किसी मध्यस्थता निर्णय को लागू करने की मांग करने में कोई बाधा नहीं है। यह तथ्य कि प्रतिवादी सं. 1 ने वर्तमान अनुबंध के साथ कोई संबंध स्थापित किए बिना एएआई परियोजना के संबंध में कार्यवाही की सूचना दी है, स्वयं यह दर्शाता है कि एएआई परियोजना के संबंध में लेनदेन वर्तमान लेनदेन से पूर्णतः स्वतंत्र हैं।

61. यह मानते हुए भी कि प्रतिवादीगण के पास अलग-अलग, स्वतंत्र अनुबंधों के तहत वादी के खिलाफ वैध दावे हैं, यह उन्हें वर्तमान वाद में बचाव करने की अनुमति देने का अधिकार नहीं देता है। जैसा कि इस न्यायालय ने **पंजाब और सिंध बैंक** (पूर्वोक्त) में माना है, प्रति-दावा उठाना पहली नज़र में बचाव की कार्रवाई नहीं है। **पंजाब और सिंध बैंक** (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित माना:

"8. वर्तमान मामलों में निर्णय के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या यह निर्धारित करने के लिए कि लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन में उठाई गई दलीलों में कोई विचारणीय मुद्दा उठता है, यह न्यायालय प्रतिवादी की दलीलों पर ध्यान नहीं दे सकता है कि प्रतिवादी वादी के खिलाफ प्रति-दावा दायर करने का हकदार है। आदेश 37 नियम 3 (5) सि.प्र.स. निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

"(5) प्रतिवादी ऐसे समन की तामील से दस दिन के भीतर किसी भी समय और निर्णय के लिए, शपथ-पत्र द्वारा या अन्यथा ऐसे तथ्यों का खुलासा करके, जो उसे बचाव करने का अधिकार देने के लिए पर्याप्त समझे जाएं, ऐसे समन पर ऐसे वाद का बचाव करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है, और बचाव करने की अनुमति उसे बिना शर्त या ऐसी शर्तों पर दी जा सकती है, जो न्यायालय या न्यायाधीश को उचित प्रतीत हों।"

इसलिए, प्रतिवादी के आवेदन/शपथपत्र में देखने वाली एकमात्र बात यह है कि क्या उसमें ऐसे तथ्य प्रकट किए गए हैं जिन्हें बचाव के लिए उसे हकदार माना जा सकता है। प्रति-दावा दाखिल करना प्रथम दृष्टया बचाव में कार्रवाई नहीं है। प्रतिदावा दाखिल करना प्रत्यक्ष तौर पर बचाव की कोई कार्रवाई नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8, नियम 6क के तहत, एक साधारण वाद में, प्रतिवादी को मुजराई के अपने अधिकार के अलावा, वादी के खिलाफ प्रतिवादी को वादी के खिलाफ किसी भी अधिकार या दावे के आधार पर प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिवाद दायर करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने से पहले। प्रतिवाद नुकसान के लिए दावे की प्रकृति का भी हो सकता है। यह स्पष्ट है कि

प्रतिवाद को प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने से पहले एक साधारण वाद में दायर किया जाना चाहिए।

xxx

xxx

xxx

9. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इंग्लैंड के हैलिसबरी कानून के खंड 37 के पैरा 414 का संदर्भ दिया है, जो उक्त विषय पर अंग्रेजी कानून का सारांश प्रस्तुत करता है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा प्रति-दावा प्रस्तुत करने मात्र से उसे बचाव करने की अनुमति नहीं मिल जाती है और यदि यह तुच्छ, अपुष्ट या कार्यवाही से पूरी तरह से अलग है तो इसे अनदेखा कर दिया जाएगा और दूसरी ओर यदि यह एक प्रशंसनीय या तर्कपूर्ण प्रति-दावा है, तो न्यायालय प्रति-दावे के विचारण के लंबित रहने तक निष्पादन पर रोक के साथ, लागतों के साथ वादी को दावे पर निर्णय दे सकता है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि अनादरित विनिमय पत्र या चेक पर कार्रवाई में, वादी किसी अन्य अनुबंध के उल्लंघन या अपकृत्य के लिए क्षतिपूर्ति के लिए प्रति-दावे के विचारण के लंबित रहने तक निष्पादन पर रोक के बिना अपने दावे पर निर्णय पाने का हकदार है, क्योंकि विनिमय पत्र को तब तक नकद माना जाएगा जब तक कि प्रतिफल की पूर्ण विफलता न हो।

10. दूसरी ओर एम. चांडियोक ने मेरे ध्यान में अंग्रेजी कानून विशेष रूप से आदेश, 14 लाया है जो स्पष्ट रूप से सारांश वाद में प्रतिदावे के मनोरंजन पर विचार करता है। आदेश 14(3)(2) वादी को डिक्री प्रदान करने पर विचार करता है, लेकिन प्रति-दावे पर निर्णय दिए जाने तक निष्पादन पर रोक लगाता है। आदेश 24(3)(1) को भी अलग तरीके से लिखा गया है। इसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“जब तक नियम 1 के तहत किसी आवेदन की सुनवाई पर या तो न्यायालय आवेदन को खारिज नहीं करती है या प्रतिवादी दावे के संबंध में न्यायालय को संतुष्ट करता है, या दावे का वह हिस्सा जिससे आवेदन संबंधित है कि विवाद में कोई मुद्दा या प्रश्न है जिसे आजमाया जाना चाहिए या किसी अन्य कारण से उस दावे या भाग का परीक्षण होना चाहिए.....”

इसलिए, इंग्लैंड में प्रचलित कानून से कोई लाभ नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इंग्लैंड में सारांश वाद के प्रावधान आदेश, 37 सि.प्र.स. के तहत निहित प्रावधानों से भिन्न प्रतीत होते हैं। यह भी ध्यान में रखा जाना

चाहिए कि प्रतिवादी कानूनी रूप से कोई जवाबी दावा दायर करने के लिए बाध्य नहीं है। तर्कों के लिए यह मानते हुए कि प्रतिवादी को इस धारणा पर बचाव करने की अनुमति दी गई है कि उसके पास वादी के खिलाफ जवाबी दावा करने के लिए कुछ प्रथम दृष्टया अच्छा मामला है और बचाव करने की अनुमति दिए जाने के बाद प्रतिवादी जवाबी दावा दायर करने में विफल रहता है। उस स्थिति में, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह नहीं समझाया गया है कि यदि जवाबी दावे के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होनी है तो न्यायालय क्या कर सकती है; प्रतिवादी को बचाव करने की अनुमति देना भ्रामक हो जाता है जिससे सारांश वाद के निपटान में अनावश्यक देरी होती है। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, आदेश 37 के प्रावधानों में प्रतिवादी की ओर से किसी भी प्रति-दावे पर विचार नहीं किया गया है। यदि प्रतिवादी के पास वादी के खिलाफ ऐसा कोई प्रति-दावा है, तो वह उस संबंध में एक अलग वाद ला सकता है। यदि विधान का यह इरादा था कि बचाव पक्ष की प्रति-दावे के बारे में दलील पर भी बचाव की अनुमति के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान दिया जाना चाहिए, तो उसने आदेश, 37(3)(5) के तहत उसी भाषा को शामिल करके अपना मन स्पष्ट कर दिया होता जैसा कि अंग्रेजी कानून में दिखाई देता है। इसलिए विधानमंडल द्वारा आदेश, 37 सि.प्र.स. के तहत अंग्रेजी कानून के तहत समान भाषा का उपयोग करने की चूक, वादी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का समर्थन करेगी कि विधानमंडल का इरादा नहीं था कि आदेश, 37 सि.प्र.स. के तहत लाए गए वाद में प्रति-दावे की दलील पर विचार किया जाना चाहिए।

xxx

xxx

xxx

14. मेरा विचार है कि आदेश, 37 सि.प्र.स. के तहत लाए गए किसी भी वाद में, प्रतिवादी के शपथपत्र में उल्लिखित तथ्यों पर विचार करते हुए, वाद का बचाव करने की अनुमति मांगते हुए, न्यायालय को उन तथ्यों पर विचार नहीं करना चाहिए जो प्रतिवादी को वादी के दावे के खिलाफ क्षति के लिए कोई वाद दायर करने का अधिकार दे सकते हैं या उसी पहलू पर प्रति-दावा कर सकते हैं।

62. इसके अलावा, इस न्यायालय ने डॉयचे रैंको जीएमबीएच (पूर्वोक्त) में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया:

“15. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। बचाव की अनुमति के लिए आवेदन के पैरा 5 में, जिसका प्रासंगिक भाग ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से वाद की राशि स्वीकार की है। प्रतिवादी द्वारा लिया गया एकमात्र बचाव कमीशन का कथित प्रतिदावा है। मुझे डर है कि यह बचाव प्रतिवादी को संहिता के आदेश XXXVII के प्रावधान के तहत दायर वाद में उपलब्ध नहीं है क्योंकि उक्त प्रावधान प्रतिवादी से किसी भी प्रतिदावे पर विचार करने की परिकल्पना नहीं करते हैं। यदि प्रतिवादी के पास वादी के खिलाफ ऐसा कोई प्रतिवाद है, तो वह उस संबंध में एक अलग वाद ला सकता है। मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह पंजाब और सिंध बैंक बनाम बी.एस.के. तुलशन, आईएलआर (1991) / दिल्ली 293 में इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा पूरी तरह से समर्थित है।

xxx

xxx

xxx

17. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, कथित प्रतिदावे के आधार पर प्रतिवादी को बचाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वैसे भी बचाव पक्ष द्वारा बचाव के लिए अनुमति के लिए अपने आवेदन में स्थापित प्रति दावे के संबंध में प्रस्तुतियाँ काफी अस्पष्ट हैं और कथित अनुबंध का कोई विवरण नहीं दिया गया है जिसके लिए प्रति दावे के रूप में प्रतिवादी ने कमीशन की राशि का दावा किया है, न ही प्रतिवादी द्वारा इसके समर्थन में कोई दस्तावेज दाखिल किया गया है। इस प्रकार, बचाव पक्ष वास्तविक नहीं है। इसलिए, मुझे प्रतिवादी द्वारा आरोपित प्रति दावे में कोई सार नहीं मिला। तदनुसार, प्रतिवादी को अनुमति के लिए आवेदन खारिज किया जाता है।”

62. माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने **फर्स्ट रैंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पैंथियन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार निर्णय दिया:

“34. मुझे श्री इंजीनियर के तर्क में दम नजर आता है। यदि प्रतिवादी की ओर से यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है कि प्रतिवादी वाद का बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है, क्योंकि प्रतिवादी ने प्रतिवाद किया है, तो संहिता के आदेश XXXVII के तहत सारांश प्रक्रिया प्रदान करने का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाएगा। यह तर्क देना एक बात है कि वाद का बचाव करने की अनुमति मांगते समय प्रतिवादी ने प्रतिवाद किया है, जो एक ठोस बचाव या किसी भी दर पर विचारणीय मुद्दे उठाता है। यह दावा करना पूरी तरह से अलग बात है कि चूंकि प्रतिवादी ने प्रतिवाद किया है, बचाव और/या प्रतिवाद की प्रकृति और गुणवत्ता के बावजूद, प्रतिवादी वाद का बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है। यह सब प्रतिवादी द्वारा उठाए गए बचाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। हबटाउन (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा प्रतिपादित और सुधारित परीक्षण उस मामले में भी लागू किए जाने की आवश्यकता है, जहां प्रतिवादी प्रतिवाद करता है। बिना शर्त अनुमति केवल इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि प्रतिवादी ने प्रतिवाद किया है।”

63. **मेसर्स स्वारोवस्की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स स्पा एजेंसीज (आई) प्राइवेट लिमिटेड** में, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सि.प्र.स. के आदेश XXXVII के तहत किसी वाद में बचाव की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर निर्णय लेते समय, यह वाद में व्यवहार के तरीके और कार्रवाई के कारण के संबंध में बचाव है जिस पर यह निर्णय लेते समय विचार किया जाना चाहिए कि बचाव की अनुमति दी जानी है या नहीं और विभिन्न कार्रवाई के कारणों पर

आधारित पक्षों के बीच असंगत विवादों का उपयोग सि.प्र.स. के आदेश XXXVII के दायरे को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है। *मेसर्स स्वारोवस्की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड* (पूर्वोक्त) में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर भी टिप्पणी की:

“29. एक बार जब प्रतिवादी ने माल की रसीद स्वीकार कर ली है तो वह उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। केवल इसलिए कि प्रतिवादी का व्यवसाय बंद हो गया है, वह वादी को उसे आपूर्ति किए गए माल को पुनः खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए बचाव नहीं कर सकता। यह एक तरह से प्रतिवादी द्वारा किया गया जवाबी दावा है जो आदेश 37 सि.प्र.स. के तहत निहित प्रावधानों से अलग है। आदेश 8 नियम 6-क सि.प्र.स. के तहत प्रति दावा प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने से पहले या उसके बचाव के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले दायर किया जाना चाहिए। आदेश 37 सि.प्र.स. के तहत एक वाद में प्रतिवादी वादी के दावे का बचाव करने का हकदार नहीं है जब तक कि वह बचाव के लिए अनुमति के लिए अपने आवेदन में बचाव के रूप में कुछ परीक्षण योग्य मुद्दे नहीं उठाता है।

xxx

xxx

xxx

32. इस मामले में प्रतिवादी ने वादी पर माल को पुनः खरीदने का दबाव डालकर सेट ऑफ या प्रति दावे का बचाव किया है। इसलिए, प्रतिवादी को आदेश 37 सि.प्र.स. के दायरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और बचाव के लिए अनुमति के लिए आवेदन में इस तरह के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह पक्षों के बीच कोई विचारणीय मुद्दा नहीं उठाता है। पक्षों के बीच अनावश्यक विवाद और कार्रवाई के विभिन्न कारण, आदेश 37 सि.प्र.स. के तहत लाई गई संक्षिप्त कार्रवाई के दायरे और उद्देश्य के विस्तार को उचित नहीं ठहरा सकते। आक्षेपित बिलों के विरुद्ध माल की आपूर्ति के लिए वादी का दावा, माल के मूल्य के समायोजन के लिए प्रतिवादी के दावे से स्वतंत्र है। जिसे वह बाजार में नहीं बेच सकता था, या दूसरे शब्दों में कहें तो वादी के खिलाफ प्रतिदावा किया गया था। प्रतिवादी को आदेश 37 सि.प्र.स. के तहत कार्यवाही में इसे उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। (संदर्भ 'इयूशरेन्कोजीएमबीएच बनाम मोहन मूर्ति, (1993) 52 डीएलटी 288' से लिया गया है।)

33. 'भारत संघ बनाम राज कुमार साहनी, 1995 तृतीय ई. (दिल्ली) 881' में, यह देखा गया:

“4. तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि संहिता के आदेश XXXVII के तहत किसी मामले में प्रति-दावा स्वीकार्य नहीं है।

15. संहिता के आदेश XXXVII के अधिनियमन के पीछे अंतर्निहित विचार कुछ वाद के निपटान के लिए एक सारांश प्रक्रिया प्रदान करना है। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी एक सामान्य वाद की तरह अधिकार के रूप में बचाव के अधिकार का हकदार नहीं है। उसे समन की सेवा की तारीख से दस दिनों के भीतर बचाव के लिए अनुमति के लिए आवेदन करना चाहिए और बचाव के लिए अनुमति केवल उन कुछ मामलों में दी जानी चाहिए जहां प्रतिवादी ऐसे तथ्यों को दिखाता है और प्रकट करता है जिन्हें न्यायालय किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में बचाव के लिए अनुमति देने के लिए पर्याप्त मानते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी को अपने बचाव के माध्यम से यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बचाव से विचारणीय मुद्दे उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार, यदि सारांश वाद में बचाव के माध्यम से प्रति-दावा उठाने की अनुमति दी जाती है तो इससे वाद की सुनवाई में बाधा और देरी होने की संभावना है। इसलिए आदेश XXXVII के अधिनियमन का मूल उद्देश्य विफल होने योग्य है। यदि विधायिका का इरादा प्रति-दावों पर विचार करना होता तो उन्होंने आदेश XXXVII के प्रावधानों में ही ऐसा प्रावधान किया होता। किसी भी तरह से प्रति-दावा प्रस्तुत करना बचाव के तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो भी पक्ष दावा करता है उसके पास कार्रवाई का कारण होता है और वह उसी के आधार पर वाद दायर कर सकता है। इसके अलावा, संहिता के आदेश VIII नियम 6 क के तहत प्रति-दावा प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने से पहले या उसके बचाव प्रस्तुत करने के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले दायर किया जाना चाहिए। नियम 6क जो प्रतिवादी द्वारा प्रति-दावे से संबंधित है, उक्त बिंदु की सराहना के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

“6 क. (1) एक वाद में एक प्रतिवादी, नियम 6 के तहत मुजरा दायर करने के अपने अधिकार के अलावा, वादी के दावे के खिलाफ प्रतिदावा के रूप में स्थापित कर सकता है, और कार्रवाई के कारण के संबंध में अधिकार या दावा कर सकता है। वादी के खिलाफ प्रतिवादी या तो वाद दायर करने से पहले या बाद में, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव देने से पहले या अपने बचाव के लिए सीमित समय समाप्त होने से पहले, चाहे ऐसा प्रतिदावा नुकसान के दावे की प्रकृति में हो या नहीं.....

16. यह पहले ही ऊपर देखा जा चुका है कि आदेश XXXVII के तहत वाद में प्रतिवादी वादी के दावे का बचाव करने का हकदार नहीं है, जब तक कि उसने बचाव के लिए अनुमति के लिए अपने आवेदन में बचाव के रूप में कुछ परीक्षण योग्य मुद्दे नहीं उठाए हों। इस प्रकार प्रति-दावे संहिता के आदेश XXXVII के दायरे से बाहर हैं और इसके तहत उन पर विचार नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा भी यही दृष्टिकोण व्यक्त किया गया था, जैसा कि ब्रैमेक सूरी (पी) लिमिटेड बनाम श्री स्मिथ केम, 1981 आरएलआर 60 में रिपोर्ट किया गया है..... “यह व्यवहार के तरीके और वाद में स्थापित कार्रवाई के कारण के संबंध में बचाव है जिसे ऐसी अनुमति देते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। बाहरी विवाद और कार्रवाई के विभिन्न कारण आदेश 37 के तहत लाई गई सारांश कार्रवाई के दायरे और उद्देश्य के विस्तार को उचित नहीं ठहरा सकते।”

64. उपरोक्त टिप्पणियां वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी पूरी तरह से लागू होती हैं। प्रतिवादीगण को जीएमडीए परियोजना के संबंध में स्वतंत्र विवाद और/या एएआई परियोजना के संबंध में बाहरी विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो अलग, स्वतंत्र लिखित अनुबंध का विषय है।

65. प्रतिवादीगण द्वारा वादी के दिनांक 31.03.2020 के ईमेल पर भरोसा करने की कोशिश की गई है, और उससे निकाले जाने वाले निहितार्थ भी गलत हैं। प्रतिवादीगण को संबोधित वादी द्वारा दिनांक 31.03.2020 का उपरोक्त ईमेल निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“प्रिय समीर जी,

जैसा कि आज फोन पर चर्चा हुई, मैं समझता हूं कि कोरोना वायरस लॉकडाउन और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के कारण आपका कार्यालय बंद है।

चूंकि यह एक अप्रत्याशित स्थिति है, भले ही आप कोशिश करें आप किसी भी भुगतान को संसाधित नहीं कर सकते।

जैसा कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन हटाए जाने के बाद चर्चा की गई है, यदि कोई लंबित मुद्दे हैं तो हम मिलेंगे और उन पर चर्चा करेंगे, और आप पारस्परिक रूप से सहमत समयसीमा के अनुसार हमारे भुगतानों की प्रक्रिया करेंगे।

कृपया पुष्टि करें

सादर,

प्रदीप के”

66. उपर्युक्त ईमेल के अवलोकन से यह संकेत नहीं मिलता है कि प्रतिवादीगण द्वारा सुझाए गए तरीके से विभिन्न अनुबंधों के तहत राशियों के समायोजन के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई समझौता हुआ था।

67. इसके अलावा, वादी और प्रतिवादीगण के बीच आदान-प्रदान किए गए ईमेल में, प्रतिवादीगण ने आईओसीएल परियोजना के संबंध में बकाया राशि को चुकाने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है, इस उम्मीद में कि इसे अन्य बकाया राशि के खिलाफ समायोजित किया जाएगा जो वादी द्वारा प्रतिवादीगण को देय हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि लेनदेन के संबंध में प्रतिवादीगण की देयता के बारे में कोई विवाद नहीं है जो वर्तमान वाद का विषय है।

68. बचाव हेतु अनुमति के लिए आवेदन देने या अस्वीकार करने के सिद्धांतों को उच्चतम न्यायालय ने *आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड बनाम*

हबटाउन लिमिटेड (पूर्वोक्त) के मामले में दोहराया है, जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:

“17. तदनुसार, आदेश XXXVII नियम 3 के संशोधन, तथा मिल्खीराम के मामले में चार न्यायाधीशों के बाध्यकारी निर्णय को देखते हुए, मेकलेक के मामले के पैराग्राफ 8 में वर्णित सिद्धांत अब निरस्त माने जाएंगे, जो इस प्रकार हैं:

17.1 यदि प्रतिवादी न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि उसके पास पर्याप्त बचाव है, अर्थात् ऐसा बचाव जो सफल होने की संभावना है, तो वादी निर्णय पर हस्ताक्षर करने की अनुमति पाने का हकदार नहीं है, और प्रतिवादी वाद का बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति पाने का हकदार है;

17.2 यदि प्रतिवादी यह दर्शाते हुए विचारणीय मुद्दे उठाता है कि उसके पास उचित या तर्कसंगत बचाव है, हालांकि सकारात्मक रूप से अच्छा बचाव नहीं है, तो वादी निर्णय पर हस्ताक्षर करने का हकदार नहीं है, और प्रतिवादी सामान्यतः बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है;

17.3 भले ही प्रतिवादी ने विचारणीय मुद्दे उठाए हों, लेकिन यदि प्रतिवादी की सद्भावना या विचारणीय मुद्दों की वास्तविकता के बारे में परीक्षण न्यायाधीश के पास कोई संदेह रह जाता है, तो परीक्षण न्यायाधीश समय या परीक्षण के तरीके के साथ-साथ न्यायालय में भुगतान या सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी शर्तें लगा सकता है। यह देखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि वाणिज्यिक मामलों के शीघ्र निपटान में सहायता करने के प्रावधानों का उद्देश्य विफल न हो। यह देखने के लिए भी सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसे विचारणीय मुद्दे जमा या सुरक्षा के बारे में अनुचित रूप से कठोर आदेशों द्वारा बंद न हो जाएं;

17.4 यदि प्रतिवादी ऐसा बचाव प्रस्तुत करता है जो कि प्रशंसनीय है लेकिन असंभव है, तो परीक्षण न्यायाधीश परीक्षण के समय या तरीके के साथ-साथ न्यायालय में भुगतान या सुरक्षा प्रदान करने के बारे में शर्तें लगा सकता है। चूंकि ऐसा बचाव परीक्षण योग्य मुद्दे नहीं उठाता है, इसलिए जमा या सुरक्षा या दोनों के बारे में शर्तें पूरी मूल राशि के साथ-साथ ऐसे ब्याज तक विस्तारित हो सकती हैं, जैसा कि न्यायालय को लगता है कि मामले के न्याय की आवश्यकता है।

17.5 यदि प्रतिवादी के पास कोई ठोस बचाव नहीं है और/या वह कोई वास्तविक विचारणीय मुद्दा नहीं उठाता है, और न्यायालय को ऐसा बचाव तुच्छ या

परेशान करने वाला लगता है, तो वाद का बचाव करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया जाएगा, और वादी तत्काल निर्णय का हकदार होगा;

17.6 यदि वादी द्वारा दावा की गई राशि का कोई भाग प्रतिवादी द्वारा उसके द्वारा देय माना जाता है, तो वाद का बचाव करने की अनुमति, (भले ही विचारणीय मुद्दे या पर्याप्त बचाव उठाया गया हो), तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि देय मानी गई राशि प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में जमा नहीं कर दी जाती है।”

69. वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्रतिवादीगण के पास उन लेन-देन के संबंध में उनके दायित्व के बारे में कोई बचाव नहीं है जो वर्तमान वाद का विषय हैं। हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अलग-अलग, स्वतंत्र अनुबंधों के तहत उनके कथित अधिकारों के साथ इसे जोड़ने का एक असमर्थनीय प्रयास किया गया है। यह कानून के तहत स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है और बचाव के लिए अनुमति देने का औचित्य नहीं रखता है।

70. ब्याज के संबंध में, यह देखा गया है कि संबंधित चालान में यह प्रावधान है कि अतिदेय राशि पर 1.5% प्रति माह की दर से ब्याज लिया जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने *संजय कोहली बनाम विकास श्रीवास्तव* और उसके बाद के निर्णयों में कहा है, वादी सि.प्र.स. के आदेश XXXVII के तहत वाद में ब्याज का दावा करने का हकदार है। ब्याज की वर्तमान बाजार दर और विभिन्न बैंकों द्वारा लगाए गए ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए, वादी का 1.5% प्रति माह ब्याज का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मेरा मानना है कि न्याय के हित को यह निर्देश देकर पूरा किया जाएगा कि वादी को पीडीसी की गैर-वसूली की तारीखों से 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार बनाया जाए।

71. उपरोक्त कारणों से, बचाव की अनुमति के लिए आवेदन खारिज किया जाता है।

सिविल वाद (वाणि.) सं. 656/2022

नतीजतन, वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध 4,21,39,402.95/- रुपए की धनराशि के लिए मनी डिक्री पारित की जाती है। इसके अतिरिक्त, वादी को 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी मिलेगा, जो निम्न प्रकार देय होगा:

(i) दिनांक 28.11.2019 (प्रथम पीडीसी की तिथि) से दिनांक 14.09.2022 (वर्तमान वाद की संस्थिती की तिथि) तक 1,70,16,180/- रुपये; (ii) दिनांक 21.12.2019 (द्वितीय पीडीसी की तिथि) से दिनांक 14.09.2022 तक 64,36,125 रुपये; (iii) दिनांक 28.12.20219 (तृतीय पीडीसी की तिथि) से दिनांक 14.09.2022 तक 20,68,284 रुपये; (iv) दिनांक 16.01.2020 (चतुर्थ पीडीसी की तिथि) से दिनांक 14.09.2022 तक 92,07,711 रुपये; (v) दिनांक 22.01.2020 (5वीं पीडीसी की तिथि) से दिनांक 14.09.2022 तक 19,97,476 रुपये; और (vi) दिनांक 22.01.2020 (6वीं पीडीसी की तिथि) से दिनांक 14.09.2022 तक 54,13,645 रुपये।

इसके अलावा, वादी को भुगतान की तारीख तक 10% प्रति वर्ष की दर से *पेंडेंट लाइट* और भविष्य के ब्याज का हकदार माना जाएगा। तदनुसार डिक्री शीट तैयार की जाएगी। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

न्या. सचिन दत्ता

मार्च 04, 2024/आर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।